तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 150/2022 बअनवान पुष्पा कंवर व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.12.2024

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पूनाराम विश्नोई श्री प्रेम कुमार विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. सात

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 109/2022 अनवान रूपसिंह बनाम पुष्पाकंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 जून 2022 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, किंतु वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट सरकारी भूमि थी तथा तत्पश्चात नामांतरकरण संख्या 113

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के जरिये गणपतसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत किये जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को उनकी कब्जा काश्त सुदा भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे है, जिससे अपीलार्थी को अपनी भूमि का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। इस कारण अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 मई 2022 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो अदालत हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। प्रस्तुत अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि पूर्व में सिवायचक दर्ज थी जो नामांतरकरण संख्या 113 के जरिये गणपतसिंह वल्द जस्सासिंह के नाम अमल दरामद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 150/2022 बअनवान पुष्पा कंवर व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुई है, जिससे यह भूमि पुश्तैनी होना प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होती है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 मई 2022 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर